न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)
कैम्प– पंचायत समिति जवाजा
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 25/2019

श्री छगनलाल पुत्र रामपाल आयु 66 साल जाति माली निवासी दादाबाडी के पीछे महादेव कॉलोनी ब्यावर जिला–अजमेर राज0

–––––प्रार्थी

बनाम

1– श्री भूपेन्द राजकुमार पुत्र श्री नोरतमल
2– श्री चैतन्य राजकुमार पुत्र श्री नोरतमल
3– श्री बसन्त राजकुमार पुत्र श्री नोरतमल
तीनों वयस्क जाति माली निवासी दादाबाडी के पीछे महादेव कॉलोनी, ब्यावर
4– श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री तोताराम
5– श्री संजयकुमार पुत्र श्री तोताराम
6– श्रीमति लक्ष्मी पत्नि श्री तोताराम
तीनों वयस्क जाति माली निवासीयान सुरजपोलगेट के अन्दर शीतला माता की गली ब्यावर जिला अजमेर राज0
7– श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री चन्द्रा
जाति माली निवासी बायासा का मंदिर शमशान घाट के पास मसूदा रोड ब्यावर
8– श्री लालाराम पुत्र श्री चन्द्रा जी
जाति माली निवासी दादाबाडी के पीछे महादेव कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर
9– श्री कालूराम पुत्र श्री मिठू
जाति माली निवासी दादाबाडी के पास अन्नपूर्णा नगर, ब्यावर जिला–अजमेर
10– श्री किशनलाल पुत्र श्री मिठू जाति माली
निवासी दादाबाडी माता जी के मंदिर के पास, ब्यावर जिला–अजमेर
11– श्री पूनमचन्द पुत्र श्री मिठू जाती माली
निवासी तालाबा की पाल रामदेव मंदिर के सामने विजयनगर रोड, ब्यावर
12– श्री लालचन्द पुत्र श्री मिठू जाति माली
निवासी दादाबाडी के पीछे अन्नपूर्णा नगर विजयनगर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर
13– श्रीमति कृष्णा सैन पत्नि श्री राजेन्द्र सैन जाति नाई
निवासी 19 शांतिनगर बलाड रोड, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
14– श्रीमान् तहसीलदार एंव लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला–अजमेर

–––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 21–08–2020

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सांराशतः कथन किये है कि मौजा नयानगर पटवार हल्का नयानगर तहसील ब्यावर में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1032 रकबा 10 बिस्वा किस्म बारानी–1 स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। जिसमें आने जाने हेतू खसरा नंवर 1030, 1031, 1033 में से 30 फीट चौडा रास्ता जिसकी लम्बाई करीवन 100 फीट तक है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें से होकर उपरोक्त 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आता है जो रास्ता कदीमी है जिसे प्रार्थी अपने खेत खसरा नंवर 1032 में आने जाने हेतू पूर्वजो के समय से उपयोग करता आ रहा है जिसको प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 ने बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि जिसमें प्रार्थी अपने खेत में पैदा होने वाली

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

फसलो को लाने व ले जाने हेतू उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1032 जिसका रकबा 00–10–00 बिस्वा है व खातेदार श्रीमति भंवरी बैवा रामपाल का देहान्त हो चुका है जिसका वारीस प्रार्थी ही है। प्रार्थी के पास उपरोक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नंबर 1032 पर जाने हेतू उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है, इस कारण जो कच्चा रास्ते से होकर खसरा नंबर 1030, 1031, 1033 की मेड के सहारे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वाले व जानवरो के आने जाने हेतू उपयोग उपभोग में कदीमी समय से लेते आ रहे है जो कि रास्ता 30 फीट चौडा व 100 फीट लम्बा है, जो जाने हेतू रास्ता खसरा नंबर 1031, 1033 में विद्यमान है, जिसको अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.5.2019, 20.6.2019 को बन्द कर दिया व प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने अपने खेत में आने जाने नही दे रहे है, जिससे प्रार्थी को उपरोक्त रास्ते को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी ने रास्ते से निकलने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि रास्ते से निकलेगा तो जान से मार देंगे और रास्ते को बन्द कर देंगे जिसके बाबत शिकायत प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 14 व पुलिस थाना ब्यावर सिटी को दी लेकिन अप्रार्थीगण ने पुलिस थाना ब्यावर सिटी से सांठगांठ कर ली व आने जाने के लिये पूर्वजो के रास्ते को बन्द कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में जाने आने का कोई अन्य रास्ता नही है। इस कारण से उपरोक्त रास्ता खुलवाया जाना कानूनन न्याय संगत है, नही तो प्रार्थी के हक में व अधिकारो पर भंयकर कुठाराघात होगा। प्रार्थी उपरोक्त रास्ते बाबत डीएलसी रेट से जो भी रांशि बनती है, जिसे प्रार्थी जमा करवाने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये खसरा नंबर 1030, 1031, 1033 में जो 30 फीट चौडा व 100 फीट लम्बा रास्ता है, जिसको खुलवाया जावे तथा वर्तमान में उपरोक्त रास्ते बाबत जो डीएलसी रेट की रांशि है उसे प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने के लिये तैयार है, व उपरोक्त रास्ता को अप्रार्थीगण द्धारा अवरूद्ध कर अवेध रूप से बीच रास्ते को अवरूद्ध कर रास्ता रोक दिया गया जिसे जरिये पुलिस इमदाद से अप्रार्थी संख्या 14 को खुलवाये जाने के आदेश प्रदान करावे। अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय जो उचित समझे वह प्रार्थी को दिलवाये जाने की आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 व 13 ने जवाब पेश कर कथन किया है, कि प्रार्थी खसरा नंबर 1032 का मूल खातेदार नही है। मूल खातेदार भंवरीबाई है जिसको प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है व जानबूझकर बिना खातेदार होते हुये प्रस्तुत प्रकरण विधि के प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत किया है जो कि खारीज होने योग्य है। खसरा नंबर 1032 पर आने जाने के लिये किसी भी प्रकार से खसरा नंबर 1030, 1031, 1033 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता नही है। उक्त खसरा नंबर 1032 पर आने जाने हेतू अलग से मौके पर रास्ता है जो कि किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण के खसरान की सीमा में होकर नही जाता है तथा जो 30 फीट चौडा रास्ता बताया गया है, उसके विषय में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा ट्रेस के जरिये साबित करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। राजस्व नक्शा ट्रेस से भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1032 जो कि खसरा संख्या 1030, 1033 के मध्य में स्थित है एवं खसरा संख्या 1031 से अलग है। खसरा नंबर 1030 में से खसरा संख्या 1032 में आने जाने का रास्ता यदि माना जाता है तो खसा संख्या 1033 व 1031 की भूमि पर किसी भी प्रकार से 1032 के खसरा पर आने जाने का रास्ता नही दिया जा सकता है व यदि खसरा नंबर 1033 से 1032 तक आने जा रास्ता माना जाता है तो खसरा नंबर 1030 व 1031 का किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकर नही रह जाता है। जबकि वास्तविकता यह कि उक्त खसरा नंबर 1032 की पूर्वी दिशा में पिछले 100 सालो से भी अधिक समय से एक

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

मंदिर स्थापित है व उक्त मंदिर तक आने जाने का रास्ता मौके पर स्थित है। उक्त रास्ते से ही उक्त खसरा नंबर 1032 लगते हुये स्थित है। खसरा नंबर 1031 के चारो ओर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता स्थित नही है जो राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस से भी स्पष्ट है। दिनांक 20.05.2019 को व या दिनांक 20.06.2019 को किसी भी प्रकार का कोई रास्ता बन्द नहीं किया क्योंकि मौके पर ऐसा कोई रास्ता स्थित ही नहीं है। इसलिये रास्ता बन्द किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड माननीय न्यायालय के समक्ष नही आया है, इसलिये भी उसे किसी भी प्रकार का कोई कुठाराघात नही हो रहा है व ना ही अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज किया जावे।

तहसीलदार ब्यावर द्वारा उनके पत्रांक राजस्व/1189 दिनांक 17.08.2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें सारांशतः कथन किये है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नयानगर में वादग्रस्त खसरा नम्बर 1032 में आने जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत खसरा नंबर 1032 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1031 व 1030 का उपयोग करता है। प्रार्थी की खातेदारी में से अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग/रास्ता मौजूद नही है। खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 1032 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1031, 1030 बीच में आता है जिसमें खसरा नंबर 1030 का 132X15 फीट = 1980 वर्गफीट यानि 00-02-05 एवं खसरा नंबर 1031 का 118.8X15 फीट = 1782 वर्गफीट यानि 00-02-01 रकबा प्रभावित होता है।

प्रकरण केम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में सुनवाई हेतु रखा गया। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नजीर मौहम्मद स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी बहस में मौखिक कथन किये कि प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नही होने से रास्ता दिया जावे जिस बाबत डीएलसी दर से राशि जमा कराने को तैयार है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार तहसीदार ब्यावर मय पटवारी हल्का ने बहस में कमोबेश अपने मौखिक कथन एवं रिपोर्ट के अनुसार कथन किये गये है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश कर कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा आज ही जवाब पेश किया गया है तथा प्रकरण में बिन्दुवार रिपोर्ट आज ही पेश की गई जिस पर आपत्ति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट की नकल प्राप्त कर उक्त रिपोर्ट पर आपित्त सहमति पेश करने हेतु समय दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर समय दिये जाने की आज्ञा प्रदान करावे। प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रार्थी का दिलाई गई जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश ना कर जुबानी विरोध किया गया और कथन किया गया कि केवलमात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि तहसीलदार ब्यावर की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह सही व उचित है। वह अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पढ़ भी ली है जिस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाकर केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया। जिसमें ऐसा कोई समुचित/ठोस कारण अंकित नही किया गया है, जिससे की उन्हें समय दिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है।

..................लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 206 में अंकित अन्य खसरान् के साथ खसरा नंबर 1032 प्रार्थी छगनलाल पुत्र रामपाल व भंवरीबाई बैवा रामपाल कौम माली सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 108 में अन्य खसरान् के साथ अंकित खसरा नंबर 1031 अप्रार्थीगण संख्या 9 से 12 कालूराम, किशनलाल, पूनमचन्द, लालचन्द पिसरान मिठू जाति माली साकिन देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 458 में अन्य खसरान् के साथ वर्णित खसरा नंबर 1030 व 1033 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 व 13 के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। अप्रार्थी की ओर से ग्राम नयानगर का नक्शा किश्तवार संवत् 2028 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है तथा ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 458 की प्रमाणित पति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एंव तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1032 में आने जाने हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत खसरा संख्या 1032 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1031 व 1030 का उपयोग करता है। ऐसी स्थिति में अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नयानगर तहसील ब्यावर स्थित प्रार्थी के खसरा संख्या 1032 रकबा 00–10–00 किस्म बा.1 में आने जाने हेतु खसरा संख्या नंबर 1030 रकबा 00–12–00 किस्म बा.1 में से 132X10 फीट एवं खसरा नंबर 1031 रकबा 00–08–10 में से 118.8X10 फीट अर्थात खसरा संख्या 1030 व 1031 में से 10 फीट चौड़ाई तक का रास्ता प्रार्थी के खसरा संख्या 1032 तक पहुंचने की लम्बाई का रास्ता रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त लम्बाई व चौड़ाई अनुसार प्रभावित रकबे का वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि के अनुसार तहसीलदार ब्यावर द्वारा गणना की जावे तथा तथा प्रार्थी उक्तानुसार संबंधित खातेदार/खातेदारान को उक्त राशि का भुगतान करेंगे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि में से रास्ते की भूमि का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रभावित भूमि में से रास्ते के रकबे को कम करते हुए शेष रकबा संबंधित खातेदारान के हिस्से में यथावत रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। **यह आदेश प्रार्थी द्वारा भूमि के प्रभावित क्षेत्रफल के वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि अनुसार भुगतान अप्रार्थी को अदा किये जाने के पश्चात् लागू होंगे।** प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को भुगतान अदा करने की रसीद पेश करने पर अथवा अप्रार्थी द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में नियमानुसार राजकोष मद में जमा कराने के पश्चात् उक्तानुसार मौके पर रास्ते की भूमि का नाप–चौप कर राजस्व नक्शे में सिवायचक आम रास्ता तरमीम किया जावे। राजकोष मद में राशि जमा कराने की स्थिति में प्राप्तकर्ता खातेदार कभी भी उक्त प्रभावित भूमि की राजकोष में जमा करवाई गई राशि राजकोष मद से नियमानुसार प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।

आदेश आज दिनांक 21–08–2020 को कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शबेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर